समुदायिक सहायता केन्द्र
प्रशिक्षण कार्यक्रम-प्रथम चरण

दिनांक: 14.10.2023

स्थान: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर

अवलोकन सत्र

समरेश सिंह

सचिव, किशोर न्याय समिति

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

उद्देश्य

- इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम (CMCs) चलाने वाले समुदायों के बालकों को उक्त मध्य प्रदेश सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम का लाभ पहुंचाना है।
- सामुदायिक मध्यस्थता केंद्रों की मौजूदा संरचना समुदाय के बालकों को निवारक और उत्तरदायी कार्यों में लगाएगी।
- सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र बालकों को शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की ओर मोड़ने एवं उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं एवं CICL (विधि का उल्लंघन करने वाले बालक) और CNCP (देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों) के लिए वैकल्पिक देखभाल के रूप में कार्य करते हुए उनके पुनर्वास प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं।

बालक

- इस पहल के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शामिल किया जा सकता है।
- कोई भी बालक जो समाज के कमजोर वर्ग का है या CNCP (देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों) या CICL (विधि का उल्लंघन करने वाले बालक) है,
- जिसे संस्थात्मक देख-रेख के अतिरिक्त वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता है, उसे इस पहल के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

सामुदायिक सहायता केंद्र (CSCs) और समुदायिक समर्थित स्वयंसेवक (CSVs)

- MPSLSA द्वारा संचालित सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र बच्चों के साथ जुड़ते हुए सामुदायिक सहायता केंद्र के रूप में कार्य करेंगे एवं सामुदायिक मध्यस्थता स्वयंसेवक (CMVs), समुदाय समर्थित स्वयंसेवियों (CSVs) के रूप में कार्य करेंगे।
- सामुदायिक सहायता केंद्र एक ऐसी पहल है जिसमें बच्चों की देखभाल और सहायता प्रदान करने में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
- जिला इंदौर सामुदायिक सहायता केंद्रों को शुरू करने के लिए एक पायलट परियोजना होगी।

कार्यान्वयन तंत्र

- सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम समुदाय में उत्पन्न होने वाले वैवाहिक विवादों के समाधान के लिए कार्य कर रहे हैं।
- यहां से, सामुदायिक सहायता केंद्र, उन बालकों की देखरेख और संरक्षण प्रदान करने के लिए भी जुडेंगें जो या तो असुरक्षित हैं या जिनकी वर्तमान घरेलू स्थितियां बालकों को अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं।
- बालक सीधे सामुदायिक सहायता केंद्र में आ सकते हैं या उन्हें चाइल्डलाइन-1098, किसी नागरिक समाज संगठन या किसी भी व्यक्ति द्वारा लाया जा सकता है।
- साथ ही, बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड किसी बालक को सामुदायिक कार्य, पुनर्वास के लिए अथवा बालक को शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण के लिए सूचीबद्ध करने एवं सामुदायिक सेवा के अवसर के लिए सामुदायिक सहायता केंद्र में भेज सकते हैं।

कार्यान्वयन तंत्र

- इंदौर में जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPUs), चाइल्डलाइन-1098, समुदायिक सहायता केंद्र के साथ मिलकर मैपिंग अभ्यास करेंगे एवं समुदाय में रहने वाले कमजोर वर्गों के बालकों एवं सड़क पर रहने वाले बालकों की पहचान करेंगे।
- मैंपिंग अभ्यास में चिन्हित किए गये बालकों की सूचना, बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड (CWC/JJB) को प्रदान की जायेगी, सूचना के पश्चात् सामुदायिक सहायता केंद्र (CSCs) बालकों को उनके दैनिक क्रियाकलापों में सम्मिलित करेंगे जिसमें बालकों के लिए शिक्षण कक्षाएं और समुदाय के सहयोग से शिक्षकों के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा शामिल होगी। सामुदायिक सहायता केंद्र (CSCs), कला और खेल क्षेत्रों में बालकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे।

कार्यान्वयन तंत्र

- सामुदायिक सहायता केंद्र (CSCs) बालकों और उनके परिवार के साथ संवाद सत्रों का आयोजन करेंगे। सामुदायिक सहायता केंद्र (CSCs) बालकों और उनके परिवार को पेशेवर मनोसामाजिक परामर्श भी प्रदान करेंगे और बालकों को असामाजिक गतिविधियों की पृष्ठभूमि वाले साथियों में शामिल होने से बचाने का काम भी करेंगे।
- सामुदायिक सहायता केंद्र (CSCs) बालकों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने पर काम करेंगे। सामुदायिक सहायता केंद्र (CSCs) पश्चातवर्ती देखरेख की सेवाएं प्रदान करने और 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बालकों में रोजगारपरकता बढ़ाने के लिए उनमें कौशल को विकसित करने के लिए भी काम करेंगे।
- सामुदायिक सहायता केंद्र बालकों के चिन्हांकन के साथ अपने सामाज के प्रभावशाली व्यक्तियों, पढ़े-लिखे व्यक्तियों, अच्छे पदों पर कार्यरत् व्यक्तियों तथा सामाजिक कार्यों को करने के इच्छुक व्यक्तियों का चिन्हांकन कर उन्हें अपने सामुदायिक सहायता केंद्र से जोड़ेगें।

कार्यान्वयन तंत्र

- सामुदायिक सहायता केंद्र (CSCs) केवल डे-केयर के लिए काम करेंगे और किसी भी बालक को आवासीय सुविधा प्रदान नहीं करेंगे। सामुदायिक सहायता केंद्र (CSCs) बालकों को आवासीय देखभाल के लिए बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के पास, जैसी भी स्थिति हो, भेजेंगे।
- सामुदायिक सहायता केंद्र (CSCs) पुनर्वास प्रक्रिया और समाज में पुनः मिलाने की प्रक्रिया पर बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड को प्रगति रिपोर्ट साझा करेंगे। इसके अलावा, सामुदायिक सहायता केंद्र मामले में आगे बढ़ने से पहले सीडब्ल्यूसी/जेजेबी, जैसी भी स्थिति हो, को सूचित करेंगे।
- सामुदायिक सहायता केंद्र और केंद्र के स्वयंसेवी, पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित करें, ताकि पुलिस विभाग भी असुरक्षित और संवेदनशील बालकों की जानकारी साझा कर सकें।

हितधारक

समुदायों में रहने वाले बालकों को सामुदायिक सहायता केंद्रों से जोड़ने की पहल में शामिल होंगे:

- प्रायोजक सामाजिक संगठन (SSO)
- समुदाय समर्थित स्वयंसेवक (CSVs)
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA)
- किशोर न्याय बोर्ड (JJBs)
- विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU)
- बाल कल्याण समिति (CWCs)
- जिला बालक संरक्षण इकाई (DCPUs)
- शिक्षा विभाग
- कौशल विकास विभाग
- महिला एवं बाल विकास विभाग
- मनोसामाजिक विशेषज्ञ
- यूनिसेफ
- चाइल्डलाइन - 1098
- कैरियर परामर्श

समुदाय समर्थित स्वयंसेवक की भूमिका

- सामुदायिक सहायता केंद्र के माध्यम से बालकों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रायोजक सामाजिक संगठन और समुदाय समर्थित स्वयंसेवक प्रमुख पदाधिकारी हैं।
- चयनित और प्रशिक्षित समुदाय समर्थित स्वयंसेवक के माध्यम से ही बालकों का पुनर्वास किया जाएगा। किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति और समाज के मध्य समुदाय समर्थित स्वयंसेवक सेतु के रूप में कार्य करेंगे।
- समुदाय समर्थित स्वयंसेवक यह सुनिश्चित करेंगे कि सामुदायिक सहायता केंद्र में आने वाले प्रत्येक बालक को सामुदायिक सहायता के माध्यम से औपचारिक शिक्षा में नामांकित किया जाए।
- समुदाय समर्थित स्वयंसेवक बालकों और परिवारों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण कार्ड जैसे कानूनी दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे, जो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत होने लिए आवश्यक हैं।

समुदाय समर्थित स्वयंसेवक की भूमिका

- समुदाय समर्थित स्वयंसेवक बालकों और उनके परिवार के लिए एक मनोसामाजिक परामर्श सुविधा सुनिश्चित करेंगे।
- समुदाय समर्थित स्वयंसेवक, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 18 के तहत किशोर न्याय बोर्ड के आदेशों का पालन करने के लिए विधि का उलंघन करने वाले बालकों को सामुदायिक सेवा के अवसर प्रदान करेंगे।
- समुदाय समर्थित स्वयंसेवक, बाल-विवाह, बाल यौन-शोषण और बाल-श्रम पर किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिए समुदाय के असुरक्षित व संवेदनशील बालकों को सम्मिलित करेगें।

समुदाय समर्थित स्वयंसेवक की भूमिका

- समुदाय के सहयोग से, समुदाय समर्थित स्वयंसेवक समाज में असुरक्षित व संवेदनशील बालकों, विधि का उलंघन करने वाले बालकों और देखरेख और सरंक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को रोजगार और प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगें।
- समुदाय समर्थित स्वयंसेवक सरकार द्वारा संचालित सामाजिक लाभार्थी योजनाओं में बालकों को नामांकित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ समन्वय करेंगें।
- समुदाय समर्थित स्वयंसेवक, सामुदायिक सहायता केंद्र में बालकों को क्रियाकलापों में सम्मिलित करेगें और विशेषज्ञों के माध्यम से बालकों को कैरियर परामर्श प्रदान करेगें। साथ ही कैरियर और बेहतर जीवन जीने से संबंधित प्रश्नों का समाधान करने के लिए एक मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में कार्य करेगें।

समुदाय समर्थित स्वयंसेवक की भूमिका

- समुदाय के सदस्यों के सहयोग से, समुदाय समर्थित स्वयंसेवक सामुदायिक सहायता केंद्रों में पुस्तकालय/पठन कक्ष/पुस्तक बैंक स्थापित करने और शतरंज, कैरम, कला और शिल्प जैसी आंतरिक गतिविधियों के लिए एक स्थान विकसित करने का प्रयास करेगें।
- समुदाय और संबंधित विभागों के सहयोग से, समुदाय समर्थित स्वयंसेवक शैक्षणिक, खेल, एथलेटिक्स, मनोरंजन या कला के क्षेत्र में बालकों की प्रतिभा और योग्यता की पहचान करने के लिए एक मंच के रूप में सामुदायिक सहायता केंद्र विकसित करेंगें।
- समुदाय समर्थित स्वयंसेवक **Foster Care** जैसे कार्यक्रमों के बारे में अपने समुदाय में जागरूकता पैदा करेंगें।

समुदाय समर्थित स्वयंसेवक की भूमिका

- समुदाय समर्थित स्वयंसेवक पोषण एवं अच्छे आहार के बारे में कुपोषित बालकों के परिवारों में जागरूकता पैदा करेंगे। साथ ही चिन्हित कुपोषित बालकों को जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल कल्याण विभाग की सहायता से आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़ेगें।
- समुदाय समर्थित स्वयंसेवक चिन्हित असुरक्षित एवं संवेदनशील बालकों में से ऐसे बालकों जो बाल श्रमिक हैं, उनकों बाल कल्याण समिति की सहायता से श्रम विभाग की योजनाओं से जोड़ेगें।
- समुदाय समर्थित स्वयंसेवक चिन्हित असुरक्षित एवं संवेदनशील बालकों में से ऐसे बालको जो बालक नशे में लिप्त हैं, उनकों बाल कल्याण समिति की सहायता से सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत नशा मुक्ति केंद्रों से जोड़ेगें।

समुदाय सहायता केंद्र की भूमिका की सीमा

- सामुदायिक सहायता केंद्र वैधानिक निकाय नहीं हैं और वे बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड के रूप में काम नहीं करेंगे।
- सामुदायिक सहायता केंद्र की भूमिका निवारण, पुनर्वास और प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड को सहायता प्रदान करने तक सीमित होगी।

बाल हितैषी कक्ष

बाल हितैषी कक्ष

बाल पुस्तकालय

बाल पुस्तकालय

धन्यवाद